भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1668

13.02.2023 को उत्तर के लिए

वृक्षारोपण

1668. श्री रतनसिंह मानसिंह राठौड़:

श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

श्री हँसमुखभाई एस. पटेल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा वृक्षारोपण की बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में वृक्षारोपण के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और अधिक वृक्ष लगाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वनों के बाहर वृक्ष पहल का ब्यौरा क्या है और सात राज्यों में यथा कार्यान्वित वृक्षारोपण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त पहल के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी ऐसी पहल को लागू करने का इरादा है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान भविष्य में देश भर में वनों की कटाई को रोकने के लिए उठाए गए अन्य कदम और अन्य वनीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का और इसके लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (च): राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1988 के अनुसार, जिसमें कुल भू क्षेत्र के अन्तर्गत कम से कम एक-तिहाई क्षेत्र पर वन या वृक्ष आवरण और देश के पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के आवरण के तहत दो तिहाई क्षेत्र के राष्ट्रीय लक्ष्य की परिकल्पना की गई है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) और अन्य मंत्रालयों द्वारा विभिन्न वनीकरण संबंधी योजनाओं का

कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। एमओईएफएंडसीसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), नगर वन योजना, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण आदि के तहत विभिन्न वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधियों को करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना, मनरेगा आदि के अन्तर्गत वृक्षारोपण गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाओं को भी लागू करते है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में वृक्षारोपण गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु गुजरात द्वारा 19,740.93 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक वनीकरण/वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें ठोस प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) द्वारा भारत में वनों के बाहर वृक्षारोपण (टीओएफआई) कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में पांच वर्षों की अवधि के लिए 25 मिलियन डॉलर के परिव्यय के साथ कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं, विशेष रूप से कार्बन पृथक्करण प्रावधानों को बढ़ाने और ग्रामीण जनसंख्या के लिए समावेशी आजीविका और आर्थिक अवसरों में वृद्धि हेतु वनों के बाहर वृक्षारोपण (टीओएफ) का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम में वृक्ष-आधारित उद्यमों और कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण मॉडल की भी परिकल्पना की गई है, जिससे 13 मिलियन से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की क्षमता के साथ संधारणीय बाजारों को सृजित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं एवं आजीविकाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।

वृक्षों के अवैध कटाई से बचाव सहित वनों की सुरक्षा, मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभाग द्वारा बीट, ब्लॉक, रेंज और डिवीजन स्तर पर अपने फ्रंटलाइन कर्मचारियों के माध्यम से नियमित गश्त, निगरानी और क्षेत्रों का दौरा करके की जाती है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों सहित स्थानीय संस्थान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभाग के फ्रंटलाइन कर्मचारियों की वनों के संरक्षण, पुनरूद्भवन और वनीकरण में सहायता करते हैं।

विभिन्न योजनाओं जैसे जीआईएम, काम्पा, मनरेगा, राज्य योजनाओं के अन्तर्गत वन आवरण को बढ़ाने हेतु वन और गैर वन क्षेत्र पर वनीकरण किया गया है। जीआईएम के मामले में वर्ष 2015 से अब तक राज्यों को 690.39 करोड़ रुपये जारी किए गए है। काम्पा के मामले में वर्ष 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 51,768.76 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

******